न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, निवासी कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 1027 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित मशीन को राजसात करने बाबत।

———

उपस्थितः—

1. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गुगनसिंह, एडवोकेट—अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के पद पर पदस्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 31.03.2021 को जरिये मुखबीर श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50 वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी के द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भंडारण व बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर मैं कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह रामावतार, प्रर्वतन निरीक्षक, झुंझुनूं, कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर जांच हेतु कृष्णनगर, बडाउ, तहसील खेतडी पहुंचे। श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50 वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी मे स्वयं के निवास परिसर मे स्थित दुकान पर स्वयं उपस्थित थे। दुकान के भीतर 200 लीटर भराव क्षमता के 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित मशीन रखी पाई। जिनकी जांच व माप करने पर कुल 1030 लीटर डीजल भंडारित पाया। फर्द मौका व मौका नजरी नक्शा सलंग्न है। मौके पर 1030 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे विभिन्न क्षमता के माप पाये जाने पर श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50 वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 4 के तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 1030 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का उल्लधंन पाये जाने पर धारा 7 के तहत प्रद्वत शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व एक—एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 1027 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को सुरक्षा की दृष्टि से

जांच मे सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री प्रहलाद निवासी बडाउ उम्र 35 साल जाति कुम्हार की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 1027 लीटर डीजल (1030 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 31.03.2021 को श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी की स्वयं के निवास परिसर मे स्थित की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान मे 1030 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन रखा पाया जिसकी जांच व मापे जाने पर 8 ड्रमों मे कुल 1030 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 1030 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन पाये जाने पर श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। इस प्रकार श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल, जाति यादव, उम्र 50वर्ष, ग्राम कृष्णनगर, पंचायत बडाउ, तहसील खेतडी द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त जब्तशुदा 1027 लीटर डीजल (1030 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

अप्रार्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी एवं उसके परिवार मे 3 वाहन क्रमशः ट्रेक्टर, पिकअप एवं कमाण्डर जीप है। अप्रार्थी ने घरेलू उपयोग हेतु ही उक्त डीजल क्रय किया है। अप्रार्थी ने उक्त डीजल हरियाणा से क्रय नही किया है। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण उनवानी जेठू सिंह राजपूत बनाम राज0 सरकार मे पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 की नजीर पेश करते हुए बताया कि उक्त आदेश के अनुसार अप्रार्थी 2500 लीटर डीजल अपने पास रख सकता है। अप्रार्थी ने कोई अवैध कारोबार नही किया किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा 1027 लीटर डीजल (1030 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन अप्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिले मे काफी पेट्रोल पम्प है फिर अप्रार्थी ने अपने घर पर 1000 जीटर से ज्यादा डीजल क्यों रखा है। 1000 लीटर से ज्यादा डीजल रखना खतरनाक है। क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना/आग लगने पर बचाव के कोई उपाय अप्रार्थी के पास नही है। यदि अप्रार्थी को उक्त डीजल बेचान नही करना था तो मौके पर माप क्यों रखे गये थे इसका अप्रार्थी ने बहस मे कोई जबाब नही दिया है। अतः प्रकरण मे निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है:-

1. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है
2. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा 1027 लीटर डीजल (1030 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
16/8/21